

तारीख हुक्म	<p align="center">पाबूराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अपील संख्या 312/2022</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
20.10.22	<p>अपीलार्थी पाबूराम सुथार निवासी ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2022 में उसके द्वारा (1) जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत अपील संख्या 208/22, 214/22, 236/22 सभी में दिए गए निर्णय से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	